उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या-3/2018/210/तीन-2018-39(1)/2002

लखनऊ: दिनांक: 08 मार्च, 2018

## विज्ञप्ति/विविध

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881(1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-Pub-1, दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में तत्स्थानीय प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी लोक सभा उप निर्वाचन-2018 से संबंधित जिलें में निर्वाचन के प्रयोजन के लिये सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। अनुसूची के प्रथम स्तम्भ निर्दिष्ट लोक सभा उप निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जिले के कोषागार तथा उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेगें।

## अनुसूची

| **क्र0सं0** | **मतदान की तिथि** | **जिलो का नाम** |
|---|---|---|
| 01 | 11 मार्च,2018 (रविवार) | 51-फुलपुर (जनपद-इलाहाबाद) |
| 02 | 11 मार्च,2018 (रविवार) | 64-गोरखपुर (जनपद-गोरखपुर) |

राजीव कुमार

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के समस्त प्रमुख

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सचिव/सचिव को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार एतदद्वारा उन्हें इस बात का प्राधिकार देती हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, जिनकी ड्यूटी इस लोक सभा, उप निर्वाचन में लगायी गयी है,को उनके सामान्य  कार्य से ऐसे मुक्त कर दें, जिससे उनकी राय में उक्त कर्मचारी अपने-अपने मतदान केन्द्रों में पर्याप्त समय रहते पहुच सकें और वहा अपने ठहरने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें। इससम्बन्ध में विभागाध्यक्षों इत्यादि, जहा आवश्यक हो, उन जिलाधिकारियों से परामर्श कर सकते हैं जो निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने के लिए समय-सारणी तैयार कर रहे हों।

2- यदि ऐसे कर्मचारीगण जो निर्वाचन अथवा मतगणना के वक्त लगाये गये हैं, निर्वाचन के दिनांक अथवा मतगणना के दिनांक जैसे भी स्थित हो, के ठीक पश्चात के दिनों को समुचित कारण से कार्यालय में उपस्थित न हो सके तो उनकी अनुपस्थिति क्षमा कर दी जानी चाहिए।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि हाईकोर्ट आफ जुडिकेचर, इलाहाबाद के निबन्धक को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह मा0 उच्च न्यायालय से अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा कार्यालयों में उक्त निर्दिष्ट दिनांक को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों, जो निर्वाचन के कार्यों पर लगाये जाय, को उपर्युक्त सामान्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करने के लिए निवेदन करें।

आज्ञा से,
डा0 हरिओम
सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या एंव दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, नई दिल्ली।

3- सचिव, गृह मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।

4- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-402/सी0ई0ओ0-2-29/4-2017, दिनांक 15 फरवरी,2018 के सन्दर्भ में।

5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।

7- प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, श्रम विभाग, नगर विकास विभाग,लोक निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग को क्रमशः शिक्षण संस्थान व्यापारिक/व्यवसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं आदि एवं नगर पालिकाओं/निगमों/अन्य स्थानीय निकायों को इसी प्रकार के निर्देश भेजने हेतु प्रेषित।

8- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का आवश्यक प्रचार एवं प्रसार करें।

11- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्राणालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 50 प्रतिया सामान्य प्रशासन अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

12- उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।

13- सचिवालय के समस्त अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
हरीराम
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in